## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 224.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, (बहु पुनर्वास कार्यकर्ता) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधि क्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता ———— के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातृ :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, (समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता) समृह 'ग' पद भर्ती नियम, 2014 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट है।
  - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

|   |   |  | अनुसूची   |                     |  |
|---|---|--|---|---------------------|--|
| पद का नाम   | पदों की संख्या  | वर्गीकरण   | वेतन बैंड,<br>ग्रेड वेतन या<br>वेतनमान                              | चयन अथवा<br>अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए<br>आयु-सीमा   |
| (1)   | (2)   | (3)  | (4)   | (5)                 | (6)  |
| समुदाय<br>आधारित<br>पुनर्वास<br>कार्यकर्ता<br>(तत्कालीन<br>बहु पुनर्वास | *04 (2014)<br>*कार्यभार के<br>आधार पर<br>परिवर्तन किया<br>जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय<br>सेवा, समूह 'ग',<br>अराजपत्रित,<br>अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1,<br>वेतनमान 5200-<br>20200 रु. + ग्रेड<br>वेतन 2400 रु. | लागू नहीं होता      | 18 और 25 वर्ष के बीच<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी<br>किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार<br>सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल<br>की जा सकती है।)                            |
| कार्यकर्ता)   |   |  |   |                     | टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने<br>के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों<br>से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की<br>गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम<br>तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल |

(6)

प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागृ होंगी या नहीं परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

लागु नहीं होता

(9) दो वर्ष

# आवश्यक :

## शैक्षिक अर्हता :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 कक्षा उत्तीर्ण;
- (ii) किसी सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संगठन या भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट संस्थान से बहु पुनर्वास कार्यकर्ता/समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्त्ता का एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम;
- (iii) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 के अधीन पुनर्वास कार्मिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत।

वांछनीय: किसी सरकारी संस्थान या रिजस्ट्रीकृत गैर सरकारी संगठन में नि:शक्तता क्षेत्र पर कार्य करने का अधिकतम एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्र सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरिक्षत रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

टिप्पण 2: अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को राजभाषा अधनियम, 1963 के अधीन विरचित राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के अनुसार (7

हिंदी में काम करने का ज्ञान होना चाहिए। यदि यह हिंदी का ज्ञान नहीं रखते हैं तो उसे परिवीक्षा अविध के दौरान अवश्य अर्जित करना होगा।

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

## सीधी भर्ती-

प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक दूर रहने के कारण पदधारी द्वारा हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है, (क)(i) ऐसा व्यक्ति जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं; या

- (ii) जिसने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा
- (ख) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति स्तंभ ७ में विहित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:-प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13) लागू नहीं होता

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्ति समिति (पुष्टि और प्रोन्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल,

—अध्यक्ष

2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल

—सदस्य

3. उप निदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल

---सदस्य

[फा. सं. ए-11018/33/2006-भर्ती नियम (एम एच-III)] संजय पंत, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st October, 2014

- **G.S.R. 224.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi (Multi Rehabilitation Worker), Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2008, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Community Based Rehabilitation Worker namely:—
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital New Delhi (Community Based Rehabilitation Worker) Group 'C' Post Recruitment Rules 2014.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
  - 4. Disqualification.—No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

|   |  |   | SCHEDULE   |                                   |   |
|---|--|---|--|-----------------------------------|---|
| Name of the post  | Number of posts  | Classification  | Pay Band,<br>and Grade                                     | Whether selection                 | Age limit for direct recruits   |
|   |  |   | pay or<br>Pay Scale  | post or non-<br>selection<br>post |   |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                               | (6)   |
| Community Based Rehabilitation Worker (erstwhile Multi- rehabilitation Worker). | *04 (2014)  *(Subject to variation dependent on workload). | General Central<br>Service, Group<br>'C', Non- Gazetted,<br>Non-Ministerial | Pay band-1,<br>₹5200-<br>20200 plus<br>Grade pay<br>₹2400. | Not<br>applicable                 | Relaxable for Government Servants upto forty years in the case of general candidates and up to forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the |

(6)

closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

**Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall by the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees Period of probation, if any

(7)

(8)

(9)

#### Essential:

#### **Education Qullification:**

- (i) 12th standared pass from a recognized Board or University
- (ii) one year certificate course of Multi Rehabilitation worker/Community Based Rehabilitation worker from a government institution or Non Government Organisation or Private Institute recognized by Rehabilitation Council of India.
- (iii) registered as rehabilitation personnel under the Rehabilitation Council of India Act, 1992.

#### Desirable:

Maximum one year experience in any Government Institute or registered Non-Government Organization working in the disability field.

Note 1: Qualification regarding experience is relaxable at the direcretion of the competent authority in case of candidates belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the compelent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these committee possessing the requisite exprence are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**Note 2:** According to Rule 10 of the Official Language Rules, 1976, framed under the Official Languages Act,

Not applicable

Two years

| (7)  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| 1963, the candidate should have working knowledge of Hindi and if he does not have the knowledge of Hindi, he must have to acquire the same during his probation period.   |  |  |  |
|  |  |  |  |
| <b>Method of recruitment:</b> Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods  | In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made |  |  |
| (10)   | (11)   |  |  |
| Direct Recruitment:  | Not applicable   |  |  |
| Note: Vacancies caused by the incumbent being away of deputation or long illness or study leave or under other cirumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.  (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the paret cader or department; or  (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2000 in the parent cadre or department; and  (b) possessing the qulification and experience prescribed for direct recruits under column (7).  Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.  Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. |  |  |  |
| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition  | Circumstances in which Union Public Service<br>Commission is to be consulted in making<br>recruitment.                         |  |  |
| (12)   | (13)   |  |  |
| Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering   | Not applicable.  |  |  |
| confirmation) consisting of:—  1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital  2. Head of concerned Department, Safdarjung Hospital  3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital  —Member  | ivot applicable.   |  |  |
|  | [F. No. A. 11018/33/2006 -RR (MH III)]   |  |  |
|  | SANJAY PANT, Under Secy.   |  |  |